मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-7

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

सोमवार, दिनांक 12 मार्च, 2007 (फाल्गुन 21, 1928)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.31 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. निधन उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सदस्य विधान सभा श्री रामदास चौधरी तथा भूतपूर्व सदस्य विधान सभा श्री नाथूराम अहिरवार के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किये गये।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष श्रीमती जमुना देवी, सदस्यगण श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा, श्री रामलखन शर्मा, श्रीमती सरोज बच्चन नायक, श्री हमीद काजी तथा डॉ. आई.एम.पी. वर्मा ने भी शोकोद्गार व्यक्त किये.

सदन द्वारा दो मिनिट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्तजन के लिये संवेदना प्रकट की गई.

दिवंगतों के सम्मान में विधान सभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 10.41 बजे 5 मिनिट के लिए स्थगित होकर 10.47 बजे पुन: प्रारम्भ हुई।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

2. बधाई

(1) अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की ओर से हर्ष व्यक्त किया गया कि भारत ने सफलतापूर्वक इनसेट-4 बी, उपग्रह का कोरू, फ्रेच गुआना से परीक्षण किया है। इसके लिए मैं इससे जुड़े सभी वैज्ञानिकों और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो को बधाई देता हूं।

मुख्यमंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान तथा नेता प्रतिपक्ष, श्रीमती जमुना देवी ने भी इस पर अपनी ओर से बधाई दी।

(2) श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया जी के लोकसभा के लिए सदस्य निर्वाचित होने पर सदन की ओर से उनको बधाई दी।

अध्यक्ष महोदय द्वारा भी अपनी तथा सदन की ओर से बधाई दी गई।

3. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 9 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

(डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य द्वारा उनके प्रश्न संख्या-11 (क्रमांक-2468) "व्यक्ति विशेष के नाम पर" शाला "का नामकरण" संबंधी विषय पर माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन में प्रश्नोत्तरी को फाड़ा गया तथा इस कृत्य पर माननीय अध्यक्ष द्वारा आसंदी से उनके आचरण पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई)

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 139 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 146 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

4. नियम 267 क के अधीन विषय

(1) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य ने सतना जिले में सीमेंट उद्योगों की बंद हो चुकी खदानों के स्थान पर वृक्षारोपण कराये जाने,

(श्री आरिफ अकील, सदस्य द्वारा उनके स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर चर्चा नहीं कराये जाने के विरोध में सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया गया)

(2) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने डबरा, दतिया, करैरा के किसानों का गन्ना बेचने पर प्रतिबंध लगाये जाने,

(3) श्री हरिशंकर खटीक, टीकमगढ़ जिले के खरगापुर के नगर पलेरा में सड़क मार्ग का निर्माण न कराये जाने,

(4) श्री गिरिजा शंकर शर्मा, सदस्य ने होशंगाबाद जिले में राज्यस्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित न किये जाने,

(5) श्री उम्मेद सिंह बना, सदस्य ने जौरा विधान सभा क्षेत्र के पहाड़गड़ क्षेत्र के अंतर्गत भीषण पेयजल संकट होने,

(6) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य ने श्योपुर जिले में वर्षा आंधी ओलावृष्टि से खड़ी फसलें नष्ट होने,

(7) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य ने रीवा जिले के सेमरिया में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण होने,

(8) श्री गिरिराज मण्डलोई, सदस्य ने शाजापुर जिले के सैकड़ों सहायक शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों व भृत्यों को कई वर्षों से क्रमोन्नति न दी जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की।

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, स्कूल शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 20 सन् 1996) की धारा 14 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005,

(2) चौधरी चन्द्रभान सिंह, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने-

(क) जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 की धारा 40 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) की वैधानिक आडिट रिपोर्ट वर्ष 2004-2005 (उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, जबलपुर (म.प्र.) द्वारा प्रेषित प्रमुख आपत्तियां स्पष्टीकरण हेतु उत्तर एवं प्रमण्डल की टिप्पणियां), तथा

(ख) कम्पनीज एक्ट, 1956, की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि मध्यप्रदेश स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 35 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2003-2004,

(3) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, स्कूल शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश जन शिक्षा अधिनियम, 2002 (क्रमांक 15 सन् 2002) की धारा 30 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार राज्य शिक्षा केन्द्र, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश की पांचवीं एवं आठवीं बोर्ड परीक्षा विधान सभा क्षेत्रवार परिणाम वर्ष 2005-2006,

पटल पर रखे।

6. ध्यानाकर्षण

(1) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने श्योपुर जिले के विजयपुर तहसील में सूखे से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री कमल पटेल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य की सदन से अनुपस्थिति के कारण मुरैना जिले के एम.बी.सी. केनाल पर खड़े शीशम के वृक्षों की कटाई से उत्पन्न स्थिति संबंधी ध्यानाकर्षण की सूचना प्रस्तुत नहीं हो सकी)

7. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में घोषणा की गई कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 158, विदिशा के सदस्य श्री गुरूचरण सिंह ने विधान सभा के वर्तमान फरवरी-अप्रैल, 2007 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही है।

अनुज्ञा प्रदान की गई।

8. लोक लेखा, प्राक्कलन तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों के लिए सदस्यों का निर्वाचन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि :-

" सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 221 के उपनियम (3), नियम 223 के उपनियम (1) तथा नियम 223-क के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिए क्रमशः लोक लेखा, प्राक्कलन तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों के सदस्य होने के लिए अपने में से 11-11 सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों.".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए सदस्यों का निर्वाचन

कुंवर विजय शाह, आदिम जाति कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि :-

" सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 234-क के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वर्ष 2007-2008 के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य होने के लिए अपने में से 15 सदस्यों के निर्वाचन के लिए (जिनमें क्रमशः चार-चार सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे) अग्रसर हों.".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

निर्वाचन कार्यक्रम

लोक लेखा, प्राक्कलन तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समितियों के लिए सदस्यों का निर्वाचन कार्यक्रम

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समितियों के निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

(1) नाम-निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में मंगलवार, दिनांक 13 मार्च, 2007 को अपराह्न 3.00 बजे तक प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

(2) नाम-निर्देशन प्रपत्रों की जांच बुधवार, दिनांक 14 मार्च, 2007 को अपराह्न 3.00 बजे से होगी

(3) उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना शुक्रवार, दिनांक 16 मार्च, 2007 को अपराह्न 2.00 बजे तक इस सचिवालय में दी जा सकती है।

(4) निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान, गुरूवार, दिनांक 22, मार्च, 2007 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक होगा।

(5) निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जायेगा।

उपर्युक्त निर्वाचनों हेतु अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने एवं उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

10. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री ताराचन्द गोयल (मैकेनिक), सदस्य की उज्जैन जिले के -

(क) ग्राम माकड़ोन के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में महिला चिकित्सक की नियुक्ति कराये जाने,

(ख) ग्राम पाट में पुलिस चौकी स्थापित कराये जाने,

(ग) तराना नगर स्थित शासकीय महाविद्यालय में वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय की कक्षाएं प्रारम्भ कराये जाने,

(घ) तराना नगर के उत्कृष्ट बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की बाउन्ड्रीवाल बनाये जाने,

(ङ) तराना नगर के तालाब की बाउन्ड्रीवाल का पुनर्निर्माण कराये जाने,

(च) ग्राम आसेर में हाई स्कूल खोले जाने, तथा

(छ) तराना नगर में पी.डब्ल्यू.डी. आफिस के सामने पुलिया का पुनर्निर्माण कराये जाने,

(2) श्री रामदास उइके, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के -

(क) ग्राम मोरडोंगरी खुर्द में महिला ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने,

(ख) जुन्नारदेव नगर में मिनी आई.टी.आई. प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने,

(ग) ग्राम घानाउमरी में पशु औषधालय खोले जाने,

(घ) ग्राम ढाकरवाड़ी में हाई स्कूल खोले जाने,

(ङ) ग्राम चटुआ व खैरवानी के बीच जलाशय का निर्माण कराये जाने,

(च) जुन्नारदेव चिखलमऊ से तामिया रोड तक बायपास मार्ग का निर्माण कराये जाने,

(छ) ग्राम नौलाखापा के पास नदी पर रपटा सह स्टाप डेम बनाये जाने,

(ज) ग्राम हिनोतिया में विद्युत सब स्टेशन की स्वीकृति दिलाये जाने,

(झ) ग्राम आलीवाड़ा में नदी पर रपटा सह स्टाप डेम बनाये जाने, तथा

(ञ) ग्राम घानाउमरी में दुग्ध डेयरी खोले जाने,

(3) श्री कृष्ण कुमार सिंह (भंवर साहब), सदस्य की सीधी जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मझौली में नर्सों की नियुक्ति कराये जाने,

(4) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य की टीकमगढ़ जिले के -

(क) तालाबों का गहरीकरण कराये जाने, तथा

(ख) निवाड़ी विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत कराये जाने,

(5) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य की रीवा जिले के -

(क) ग्राम चोरगवां माईनर नं.-2 में गोरमा बांध का पानी छोड़े जाने,

(ख) ग्राम घुरेहटा के सभी टोलों में विद्युत सप्लाई कराये जाने, तथा

(ग) ग्राम पटेहरा स्थित शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय का नामकरण अमर शहीद अशोक कुमार पटेल के नाम पर किये जाने, एवं

(6) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य की नीमच जिले के ग्राम मालखेड़ा से जावी पहुँच मार्ग पर पुलिया का निर्माण कराये जाने,
संबंधी याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गई।

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) संशोधन, विधेयक, 2007 (क्रमांक 2 सन् 2007) को सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

12. वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री दिग्विजय सिंह **(चर्चा अपूर्ण)**

(12.52 बजे से 2.40 बजे तक अन्तराल)

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

13. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 12 मार्च, 2007 को सम्पन्न हुई, जिसमें वर्ष 2007-2008 के आय व्ययक में सम्मिलित मंत्रियों के विभिन्न मांग समूहों पर चर्चा के लिए उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :-

क्र.	प्रस्तावक मंत्री	मांग संख्या तथा सेवा या प्रशासन जिससे मांग संबंधित है	प्रस्तावित समय
(1)	श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री	1-सामान्य प्रशासन 2-सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय 3-पुलिस 4-गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय 32-जनसंपर्क 46-विज्ञान और टेक्नॉलाजी 48-नर्मदा घाटी विकास 65-विमानन	3 घन्टे

(2)	श्री बाबूलाल गौर, मंत्री	7-वाणिज्यिक कर 11-वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार 72-भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	2 घन्टे 30 मिनिट
(3)	श्री राघवजी, मंत्री	6-वित्त 31-योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी 38-रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय 50-बीस सूत्रीय कार्यान्वयन 60-जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय 74-वित्त विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	----
(4)	श्री हिम्मत कोठारी, मंत्री	10-वन 36-परिवहन.	1 घन्टा 30 मिनिट
(5)	श्री जयंत मलैया, मंत्री	21-आवास एवं पर्यावरण 22-नगरीय प्रशासन एवं विकास-नगरीय निकाय 53-अनुसूचित जाति उपयोजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता 68-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता 75-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	3 घन्टे
(6)	श्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री	12-ऊर्जा 24-लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल 42-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल 67-लोक निर्माण कार्य-भवन 69-सूचना प्रौद्योगिकी 73-त्वरित विद्युत विकास से संबंधित व्यय 76-लोक निर्माण से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	2 घन्टे 30 मिनिट
(7)	श्री गोपाल भार्गव, मंत्री	17-सहकारिता 39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण.	2 घन्टे
(8)	श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया, मंत्री	37-पर्यटन 43-खेल और युवक कल्याण.	1 घन्टा

(9)	डॉ. नरोत्तम मिश्रा, मंत्री	27-स्कूल शिक्षा (प्रारम्भिक शिक्षा) 28-राज्य विधान-मंडल 29-विधि और विधायी कार्य 77-स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर).	2 घन्टे 30 मिनिट
(10)	श्री अनूप मिश्रा, मंत्री	23-जल संसाधन 40-जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-आयाकट 45-लघु सिंचाई निर्माण कार्य 57-जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	2 घन्टे 30 मिनिट
(11)	सुश्री कुसुम सिंह, मंत्री	34-सामाजिक न्याय 55-महिला एवं बाल विकास.	1 घन्टा 30 मिनिट
(12)	चौधरी चन्द्रभान सिंह, मंत्री	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास 54-कृषि, अनुसंधान एवं शिक्षा 78-उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण.	2 घन्टे
(13)	श्री रमाकांत तिवारी, मंत्री	14-पशुपालन.	1 घन्टा
(14)	कुंवर विजय शाह, मंत्री	33-आदिम जाति कल्याण 41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना. 44-उच्च शिक्षा 47-तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण 56-ग्रामोद्योग 70-तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	2 घन्टे 30 मिनिट
(15)	श्री जगदीश देवड़ा, मंत्री	18-श्रम 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी 49-अनुसूचित जाति कल्याण 64-अनुसूचित जाति उपयोजना	2 घन्टे 30 मिनिट
(16)	श्री अजय विश्नोई, मंत्री	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 61-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं 79-चिकित्सा शिक्षा.	2 घन्टे

(17)	श्री रूस्तम सिंह, मंत्री	15-अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता 30-ग्रामीण विकास 52-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता 59-ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं 62-पंचायत 63-अल्पसंख्यक कल्याण 66-पिछड़ा वर्ग कल्याण 71-जैव विविधता (बायो-डायवर्सिटी) तथा जैव प्रौद्योगिकी (बायो टेक्नॉलाजी) 80-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	3 घन्टे
(18)	श्री अंतर सिंह आर्य, मंत्री	5-जेल.	1 घन्टा
(19)	श्री कमल पटेल, मंत्री	8-भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन 9-राजस्व विभाग से संबंधित व्यय 35-पुनर्वास 51-धार्मिक न्यास और धर्मस्व 58-प्राकृतिक आपदा एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय.	2 घन्टे 30 मिनिट
(20)	श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	25-खनिज साधन 26-संस्कृति.	1 घन्टा
(21)	श्री मोती कश्यप, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	16-मछली पालन	1 घन्टा

समिति द्वारा निम्नांकित अनुशंसाएं भी की गई है :-

(1) मंगलवार, दिनांक 13 मार्च, 2007 से गुरुवार, दिनांक 22 मार्च, 2007 तक सदन की बैठकें रात्रि 8.00 बजे तक रखी जायें तथा इस अवधि में भोजनावकाश न रखा जाये।

(2) शनिवार, दिनांक 17 मार्च, 2007 को सदन की बैठक रखी जाये तथा इस दिन अनुदान की मांगों पर मतदान संबंधी कार्य ही रखा जाये।

(3) बुधवार, दिनांक 28 मार्च, 2007 को सदन की बैठक न रखी जाये।

विगत दिनांक 21 फरवरी, 2007 को लिए गए निर्णयानुसार विधान सभा के वर्तमान सत्र में शुक्रवार को होने वाली बैठकों का समय यथावत प्रात: 9.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक रहेगा।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य एवं संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - अभी अध्यक्ष महोदय ने वित्तीय कार्य पर चर्चा के लिए समय निर्धारण के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

14. वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः)

(2) श्री कैलाश चावला

(3) श्री रामनिवास रावत

सभापति महोदय (श्रीमती सुधा जैन) पीठासीन हुई.

(4) श्री रामलखन शर्मा

(5) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा

(6) श्री शंकरलाल तिवारी

(7) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर

(8) श्री दुर्गालाल विजय

(9) श्री कपूरचंद घुवारा

(चर्चा अपूर्ण)

05 बजकर 08 मिनिट पर विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 13 मार्च, 2007 (फाल्गुन 22, 1928) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.